समाहरणालय पूर्णियाँ

(जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय)

Email- dwopurnia@gmail.com Mob.- +917991168481

पत्रांक 525 /जि0क0

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
पूर्णियाँ

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
पटना।

पूर्णियाँ, दिनांक :– 22/09/2026

विषय :– पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार पटना द्वारा संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास में नामांकन हेतु आवेदन प्राप्ति की सूचना के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, पूर्णियाँ में नामांकन हेतु छात्रावास के स्वीकृत सीट के विरूद्व रिक्ति, नामांकन की शर्त एवं प्रक्रिया तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में करवाने की कृपा की जाय।

अनु0:– यथावर्णित।

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त
पूर्णिया

समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय)

नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

प्रवेशिका उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आवासन एवं अन्यान्य सुविधा दिए जाने हेतु पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार पटना के अधीनस्थ जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप नामांकन ली जाएगी।

क्र0 सं0	छात्रावास का नाम	क्षमता	रिक्ति	
			EBC छात्रों के लिए	BC छात्रों के लिए
1	जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, पूर्णियाँ	100	12	8

उक्त छात्रावास में नामांकन रिक्ति के विरूद्ध नामांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक–05.09.2026 से 30.09.2026 तक ऑनलाईन के माध्यम से लिया जाना है। नामांकन के लिए छात्र https://bcebconline.bihar.gov.in/cay/default.aspx पर आवेदन निर्धारित तिथि तक कर सकते है। विशेष जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, पूर्णिया से छात्र/अभिभावक प्रत्येक कार्य दिवस को 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक सम्पर्क कर सकते है।

नामांकन की शर्त्ते :–

1. आवेदन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का छात्र हो।
2. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
3. आवेदन पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित हो।
4. आर्हता प्राप्त आवेदकों में उच्च प्राप्तांक वाले छात्र को प्राथमिकता दी जायेगी एवं समान प्राप्तांक होने की स्थिति में निम्न आय वाले अभिभावक के बच्चों को प्राथमिकता दी जायेगी।

छात्रों को मिलने वाली निशुल्क सुविधा :–

1. छात्रों के लिए आवास की सुविधा।
2. सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी एवं मेस में भोजन बनाने हेतु रसोईया की व्यवस्था।
3. जनरेटर की सुविधा, बिजली की सुविधा, सी0सी0टी0भी0 एवं वाई–फाई की सुविधा।
4. पुस्तकालय एवं डिजिटल क्लास की सुविधा।
5. खेल–कुछ सामग्री की सुविधा।
6. शुद्ध पेय जल की सुविधा।
7. प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न (09 कि0ग्रा0 चावल एवं 06 कि0ग्रा0 गेहूँ)
8. प्रतिमाह छात्रों को अनुदान योजना अन्तर्गत 2000.00 (दो हजार) रूपये अनुदान का लाभ।

आवेदन की प्रक्रिया :–

1. आवेदन केवल ऑनलाईन माध्यम (https://bcebconline.bihar.gov.in/cay/default.aspx) से ली जायेगी।
2. आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो–02 प्रति में।
3. आर0टी0पी0एस0 नंबर युक्त निवास प्रमाण पत्र।
4. आर0टी0पी0एस0 नंबर युक्त जाति प्रमाण पत्र।
5. पूर्णिया जिला में स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन का साक्ष्य।
6. आधारकार्ड की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
7. विगत परीक्षा के अंक–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
8. बैंक पासबुक की छायाप्रति स्व–अभिप्रमाणित (Account No.एवं IFSC कोड सहित)।
9. छात्रावास में अनुशासन पालन संबंधी शपथ–पत्र।

03/09/26

उप विकास आयुक्त
पूर्णिया